## (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)

## खाद्य सुरक्षा अपील आवेदन—पत्र (दस्तावेज साक्ष्य के अभाव में निरस्तनीय होगा)

सं	सेवा में,								
	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय/जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड								
<b>4</b> 16	•		<del></del>			<del> 3</del> .			
उपरोक्त विषयान्तर्गत अपीलार्थी निम्न अपील प्रस्तुत करता है:—  1. अपीलार्थीपुत्र/पुत्री/श्रीमती/श्रीपंचायत समितितहसीलपंचायत समिति									
क. सं.	नाम	माता का नाम	पिता का नाम	मुखिया के साथ संबंध	लिंग	जन्म दिनांक	राशन कार्ड संख्या	यूनिक आई. डी.नं.	भामाशाह कार्ड नं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				स्वयं					
2									
3 4									
5									
<ol> <li>राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में ग्रामीण क्षेत्र में समावेशन हेतु समावेशन के पात्रता संबंधी मापदण्य निर्धारित किये गये है, जो निम्न प्रकार है:— समावेशन(Inclusion) की प्राथमिकता श्रेणी</li> </ol>									

- अन्त्योदय परिवार
   बीपीएल परिवार
- 3. स्टेट बीपीएल परिवार 4. अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- 5. ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओ में शामिल नहीं है तथा निम्न योजनाओ / वर्गों में शामिल है, उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा:—
- (A) मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना

- (B) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- (C) मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- (D) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- (E) मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना
- (F) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- (G) महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- (H) मुख्यमंत्री निराश्रित पुर्नवास परिवार योजना
- (I) सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति परिवार
- (J) भूमिहीन कृषक
- (K) कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- (L) सीमान्त कृषक
- (M) वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त (Exclusion) पात्र नही शर्तो में न आते हो।
- 6. मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- 7. समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण,जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग,अल्पसंख्यक मामलात विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलो के हॉस्टल)
- 8. एकल महिलाएं
- 9. श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- 10. पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ट आश्रम
- 11. कचरा बीनने वाले परिवार
- 12. उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- 13. साईकिल रिक्शा चालक
- 14. पोर्टर (कुली)
- 15. कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- 16. घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड़ पालक
- 17. वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- 18. लघु कृषक
- 19. आस्था कार्डधारी परिवार
- 20. अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार विनारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- 4. अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियो......में अभिलिखित उपवर्ग.....की श्रेणी का व्यक्ति है,जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज.....में अभिलिखित संलग्न है।
- 5. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो हेतु निर्धारित निष्कासन(Exclusion) श्रेणी(पात्र नही) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है:—
  - A. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकरदाता हो।
  - B. ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी / अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है।

- C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी सदस्य के पास चारपिहया वाहन हो(ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो।)
- D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
- E. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों की कुल आय एक लाख वार्षिक से अधिक हो।
- F. ऐसे परिवार, जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्गफीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हो।

## नोट:- निष्कासन के नियम सभी श्रेणियो पर समान रूप से लागू होंगे।

ŝ.	अतः अपील स्वीकार कर अपीलाथी व	र्वे परिवार, जिसका राशन कार्ड	संख्याहै को ग्राम	
	गाम पंचायतगा	तहसील	पंचायत समितिपंचायत समिति	
	में खाद्य सुरक्षा योजना की	समावेशन सूची में समावेशन प्र	ाथमिकता श्रेणी	
	का आदेश जारी करावे।(समावेः	C,		
	नोट:– आवेदन पत्र के साथ यदि ३	भागने भागने समानेषान शोणी क	न कोर्र दातावेजी गाध्य गंत्राच	ᅩᅱ
			•	
	किया है तो आवेदन पत्र निरस्त किय	ा जाकर आवेदक को बकाया द	स्तावेज संबंधित विभाग में जमा क	राने

संलग्न दस्तावेजो की सूची:-

के लिये अधिकतम 15 दिवस का समय ओर दिया जायेगा।

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

हस्ताक्षर अपीलार्थी

नाम—
पिता का नाम–
माता का नाम—
मोबाईल नम्बर—
पता—

## शपथ पत्र/स्वघोषणा

में	पुत्र / पत्नी	श्री		निवासी
करता / करती हूँ कि ख				
जारी अधिसूचना दिनांक	C1		_	
मैं/मेरा परिवार जांच में				
विरूद्ध कानूनी कार्यवाही	की जा सकेगी।			

(हस्ताक्षर अपीलार्थी) दिनांक :

दिनाक : स्थान :